

कार्यालय आदेश संख्या. 554/2020

Sub: Appointment of Trainee JE(C&W) Level – 6, On Stipend Rs.35400/ (GP-4200/)
Recruited through RRB/Mumbai in C&W Department on Solapur Division.

Ref: CPO/CSTM Lr. No.CR/P-HQ/EM/110/7/JE(C&W) Dtd 12.06.2020

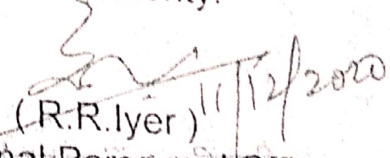
In continuation of this office Letter No. SUR/P/Rect./RRB/ C&W dtd 11.12..2020 and Competent authority has decided their initial training & posting order issued with immediate effect with the following conditions are. as under –

- उनकी नियुक्ति और तैनाती निम्नलिखित शर्तों पर की जाती है.
- उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त तथा अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन .
- उनकी नियुक्ति अस्थाई तौर पर होगी और कोई भी कारण बताएं बिना उनकी 14 दिन की नोटिस देकर उनकी सेवासमाप्त की जा सकती है.
- 3) वे भारत सरकार और मध्य रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों तथा अस्थाई कर्मचारियों को लागू होनेवाले नियम और विनियम द्वारा शासित होंगे और उनकी तैनाती/Stipend for initial training period for 52 weeks(-12 months).
- 4) उन्हें आवश्यकतानुसार सोलापुर मंडल के किसी भी स्टेशन पर तैनात और स्थानांतरण किया जाएगा.
- 5) वह उम्मीदवार दिनांक 01/04/2004 से लागू नये पेंशन नियमों से शासित होंगे. तथा उपरोक्त को तैनात होने पर प्राण फार्म भरकर लेना अनिवार्य है. PAN CARD बैंक खाता और पता देना है.
- 6) उन्हें प्रशिक्षण के दौरान यदि छोड़ना पड़े तो पूरा ट्रेनिंग खर्चा भुगतान और करना पड़ेगा अन्यथा प्रशिक्षणिक कार्यवाही भी होगी. उन्होंने भारतीय संविधान की निष्ठा की प्राथमिक शपथ लेने के पश्चात तथा नियुक्ति के लिए उन्हें डिपो में रिपोर्ट करने के लिए इस कार्यालय द्वारा जारी वाहकपत्र दिया जाएगा और वाहकपत्र पर कर्मचारी का सत्यापित फोटोग्राफ तथा नमूना हस्ताक्षर होगा. डिपो प्रभारी उनके रिपोर्ट करने पर उनकी वास्तविकता/जेनिरलनेस/ की पुष्टि मंडल रेल प्रबंधक, कार्मिक विभाग भर्ती कार्यालय, सोलापुर को सूचित करेंगे. और उनकी पोलिस व्हेरीफिकेशन के लिए साक्षात्कार फार्म उनके जिला पोलिस मुख्यालय को भेज देना, और जाती प्रमाणपत्र जॉब करना .
- 7) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ओबीसी उम्मीदवार को उनके कमजोरी को सत्यापित करने के पश्चात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ओबीसी कोटे पर नियुक्ति दी जाती है. उनकी नियुक्ति अनंतिम है और बशर्ते उनके जाति/जनजाती/ओबीसी के प्रमाणपत्र के उचित माध्यमों द्वारा सत्यापन किये जाने पर है, यदि सत्यापन के समय यह प्रकट हुआ कि जैसा भी मामला हो अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ओबीसी के होने का दावा गलत है तो कोई कारण दिए बिना तुरंत सेवा समाप्त की जाएगी और पूर्वाधारणा बिना गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत के लिए भारतीय पिनल कोड के प्रावधानों के अधीन आने की कार्यवाही की जाएगी.

क्र	Ment No	नाम/ अर्थ श्र.	जाति/ जाति/श्र.	निर्दिष्ट पदनाम, रटेशन विभाग लेवेल
01	04 /909	Katule Sujit Kumar	UR 12.03.1997	Tr JE(C&W) under SSE/C&W/SUR in C&W as Initial Trg Level - 6 (GP4200/-)
02	05/918	Sandesh, Pandurang Wangnekar	OBC/NCL 23.05.1994	Tr JE(C&W) under SSE/C&W/SUR in C&W as Initial Trg Level - 6 (GP4200/-)
03	08/1704	Deshbharatar Pravin Harish	SC 04.02.1991	Tr JE(C&W) under SSE/C&W/SUR in C&W as Initial Trg Level - 6 (GP4200/-)
04	12/3710	Banavathu Badya Naik	ST 24.06.1995	Tr JE(C&W) under SSE/C&W/SUR in C&W as Initial Trg Level - 6 (GP4200/-)

They have been directed 52 weeks training as per the revised training module as per the Railway Boards guidelines. And they are posted as Tr. **Apprentice JE (C&W)) on stipend** basis for a period of 52 weeks (1 year) and after completion of their training as per module they will be appear exam after result their service will be regularized as JE (C&W)) - Level-6 in C&W Dept.

The date of reporting of the above named candidate should be advised to all concerned without fail. This has the approval of Competent Authority.


 (R.R. Iyer) 11/12/2020
 Divisional Personnel Officer
 For Sr. Divisional Personnel Officer/
 SOLAPUR

C/- Sr. DME/SUR, Sr. DFM/SUR for information please.
 C/- SSE(C&W)SUR for information & & necessary action please.
 C/- O O, Cadre, and P/File.